बीस रुपये TWENTY RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल महोदय जिला ग्वालियर

(4)

विविध 658-PBR-15

याचिका क्र. /2015

याचिकाकर्ता – माता प्रसाद पुत्र श्री रामचरण आयु –49
व्यवसाय–कृषि निवासी–चन्दूपुरा जिला ग्वालियर

रेस्पोडेन्टस –1 म.प्र.शासन द्वारा न्यायालय अपर तहसीलदार
उमेश कौरव न्यायालय टप्पा मुरार ग्वालियर

2 राजकुमार पुत्र श्री विश्वनाथ जाति–ब्राहमण
निवासी–वनखण्डेश्वर मंदिर भिण्ड

3. द्वारा मुख्त्यारआम राजवीर सिंह किरार पुत्र
स्व0 श्री भीकम सिंह किरार निवासी–ग्राम डांग
गुठीना जिला ग्वालियर

श्री के.के. चतुर्वेदी एड. द्वारा आज दि. 30-3-15 को प्रस्तुत 30-3-15 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

के. के. चतुर्वेदी एड.

<u>रिट याचिका धारा 8 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रतिषेध उत्प्रेषण, नैसर्गिक न्याय सिद्धांत को प्रचलित किये जाने का एवं उचित आदेश, निर्देश एवं याचिका के स्वत्व दिये जाने बावत्</u>

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

1– याचिका का विवरण जिसके विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की जा रही है –

अ– **आदेश दिनांक** – 12.03.2015, 28.02.2015, 04.03.2015

ब– **प्रकरण क्रमांक** – 40/14-15 अ–6 माताप्रसाद बनाम म.प्र.शासन आदि माताप्रसाद

686 राहुल तिवारी शपथ आयुक्त ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 27/3/15

(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 688 –पीबीआर / 15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–04–15	आवेदक अधिवक्ता श्री के0के0चतुर्वेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना व प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार न्यायालय वृत्त मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–2–15, 28–2–15 व 4–3–15 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह विविध प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश अपील योग्य आदेश है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	